

संपादकीय

चुनाव नजदीक आने पर सरकारों की तरफ से लोकतुल्य योजनाओं-परियोजनाओं के अनावश्यक, बस्तुओं की कीमतों में कमी आदि की घोषणाएं करना कोई नई बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपए प्रति लीटर की कटौती भी इसी रणनीति का हिस्सा कही जा सकती है। इस पर स्वामानिक ही खाती रखते हैं। मार सरकार को निश्चिरण करने के लिए तेल की कीमतों का नियमन करना शुरू कर दिया था कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ाव होने पर तेल कंपनियों को जो कमाई होगी, उससे उहाँ अपना तेल का भंडार बढ़ाने में मदत मिलेगी।

हालांकि इस बीच कई बार कच्चे तेल की कीमतों में उत्तर देखा गया, उसके महेनजर मांग की जाती रही कि पेट्रोल-डीजल की खुदारा कीमतों में कटौती की जानी चाहिए। मार तर सरकार ने तर्क दिया था कि तेल का माम से कटौती इसलिए नहीं की जाएगी, ताकि इससे तेल कंपनियों को हुए


घाटे की भराई हो सके। पहले के नियम के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल-डीजल की खुदारा कीमतों में बढ़ावाव किया जाता था। मार सरकार ने इस तर्क के साथ तेल की कीमतों का निश्चिरण खुद से करना शुरू कर दिया था कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ाव होने पर तेल कंपनियों को जो कमाई होगी, उससे उहाँ अपना तेल का भंडार बढ़ाने में मदत मिलेगी।

तेल की खुदारा कीमतों में बढ़ाती का असर महाराष्ट्र पर भी पड़ता है। इससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है, कृषि कार्य में उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे बाजार में बस्तुओं की कीमतों कई बार कांब से बार चली जाती है। इसलिए महाराष्ट्र पर कांब पाने के लिए तेल की खुदारा कीमतों संतुलित करने के सुझाव दिए जाते हैं। मार विचित्र है कि

सोशल मीडिया से...



देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेना हो गया है ये लोकतंत्र का महावेद है। मैंने सभी देशवासियों से अपील की है कि इस बार तानाशाही के खुलाफ़ बढ़ते हैं, गुंजाई के खुलाफ़ बढ़ते हैं। आम आमी पार्टी लोगों के असल धूम और पान का काम करती है, जिसका चुनाव लोगों द्वारा होता है। जहाँ-जहाँ आम आमी पार्टी के उपचारक चुनावी वैदान में लड़ रहे हैं, वहाँ जहाँ पर वो देना होता है ताकि हम और अधिक जर्ज़ा से आकर लिए काम कर सकें। अखिलेश जीरोवाल, सोपां दिली



2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए 'न्याय का द्वारा' खेलेगा। लोकतंत्र एवं संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। हम भारत के लोगों साथ मिलकर नकरत, लूट, बोरोजारी, महाराष्ट्र व अन्याचारों के खुलाफ़ लड़ें। मलिकार्जुन खड़गे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष



आज मुंबई में INDIA गठबंधन के लोकगणों द्वारा के साथ बैठक के बाद श्री शरद पवार, श्री केसी वेणुगोपल, श्री मुकुल वासनिक, श्री बालासाहेब थोरात, श्री रमेश चेत्रिला एवं अन्य नेतागणों के साथ नेहरू सेंटर का अवलोकन किया। अशोक गहलोत, राजस्थान विधान सभा के सदस्य



इस बार धोषित हुए लोक सभा चुनावों की विधियों और सात चरणों का देश की जनता और हम सभ विधायिक व्यूहोंलास के साथ अभूतपूर्व स्वल्पकरण करते हैं। व्योंगोंको ये सात चरण रह असल दुख, दर्द और दमन का प्रतीक बन चुकी भाजपा सरकार की सात चरणों में हो रही निर्वाचित की क्रोनोताजी है। सातों चरण हराओं, भाजपा हटाओ!

अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य

दिल्ली शाब घोटाले केस में केसीआर की बेटी कविता अदेस्ट

शराब कितनी हानिकारक है ये आपको पता चल ही गया होगा!

संघीय ढांचे और बहुदलीय लोकतंत्र के लिए खतरा है एक साथ चुनाव



खुदरा महाराष्ट्र चिंताजनक स्तर पर पहुंच जाने के बावजूद सरकार ने तेल की कीमतों का कम करने पर विचार नहीं किया। सबसे अधिक आरोप तेल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को लेकर उत्तर रहा है। खुदरा तेल की कीमत इसलिए ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है कि इस पर जग्य और कंद्र सरकार ऊंची कीमतों से उत्पाद शुल्क बहुती है।

केंद्र सरकार एक समृद्ध लोकतंत्र और स्वतंत्र शुल्क लेती है, जिसे करने की मांग अनेक मौकों पर उठाइ जाती रही, मगर एकाध मौकों पर उपर्युक्त कंद्रों की गई तो वह भी चुनाव का मौका था। मसलन, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त केंद्र सरकार ने अपने उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बढ़ाती ही की गई थी, तब भी यही तर्क दिया गया कि उस शुल्क का उपयोग तेल भंडारण बढ़ाने में लाभ मिले।

एक देश एक चुनाव का एक संकट

और है। वह यह कि यह भारत के संघीय ढांचे पर भी प्रहार करता है। खतरा सिर्फ चुनी हुई हड्डी सरकारों को हटाकर एक साथ चुनाव करा लेने का ही नहीं होगा। जो लोग आज चुनावी खर्चों की बात कर रहे हैं हैं

कल को वो अलग-अलग विधानसभाओं के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। जब एक केन्द्रीय कानून ही पूरे देश में

लागू होता है तब हर राज्य में कानून बनाने के लिए विधानसभा और विधायिक संसद के बीच विवाद और संघीय ढांचे को बचाव करते हैं। जैसे अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होता है। सविधान के साथ अनुच्छेद 83 में संशोधन करना होता है। विधायिक संसद के बीच विवाद और विधानसभाओं के कार्यकाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंधित अधिकार और राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं।

स्वाभाविक है कि आर एक देश एक चुनाव के फार्मूले पर चलना है तो संविधान के इन अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। यहीं वो प्रावधान हैं जो तकनीकी रूप से देश के बहुदलीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे को बचाव करते हैं।

इसी में राष्ट्रपति कानून बनाने का भी प्रावधान है। लोकिन आपाकाल किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। मतलब राष्ट्रपति किसी विषय परिस्थिति में अगर संसदीय अधिकारों को अपने हाथ में लेकर स्वयं प्रशासनिक कार्य संचालित करते हैं तो भी उहाँ एक साल के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित हैं।

इसी कानून के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है।

लोकिन विधायिक संसद के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है।

लोकिन विधायिक संसद के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है।

लोकिन विधायिक संसद के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है।

लोकिन विधायिक संसद के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है।

लोकिन विधायिक संसद के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है।

लोकिन विधायिक संसद के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है।

लोकिन विधायिक संसद के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है।

लोकिन विधायिक संसद के बीच विवाद होता है। अगर एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल भी उठाना चाहता है तो जब आज सारा देश के लिए जनता के नियमों के बीच विवाद होता है। यह एक देश एक चुनाव के समर्थक कल को यह सवाल

